UPMT010040882026

<u>न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01, मथुरा।</u>
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–592/2026
उपस्थित–राम किशोर पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक सेवा
अशोक कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या–104/2026, धारा–109, 352 बी०एन०एस० एवं 30 आर्म्स एक्ट, थाना–जैंत, जिला मथुरा के अभियुक्त **अशोक कुमार** की ओर से जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा गिर्राज द्वारा सम्बंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक–08.02.2026 को समय करीब 11.30 बजे वह अपने प्लाट पर निर्माण कार्य करा रहा था। उसका प्लाट ग्राम नगला स्टेशन के पास है, तभी पास प्लाट वाले अशोक कुमार अपने बेटे गौरव के साथ अपनी लाइसेन्सी राइफल लेकर आये और उससे गाली–गलौज करने लगे उसने गाली देने से मना किया तो उस पर राइफल तान दी और जैसे ही वहां से भागा तो उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फाइरिंग कर दी जिससे वह बाल–बाल बच गया। वहां पर मौजूद शिवकान्त और अमित जो मजदूरी कर रहे थे एवं आस–पास के लोगों ने इसको पकड़ लिया। इन लोगों को शिवकान्त, अमित व अन्य रहगीरों की मदद से राइफल सहित थाने लेकर गये। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण पंजीकृत हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र व उसके साथ संलग्न शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रर्थनापत्र न तो निरस्त हुआ है और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। अभियोजन कथानक को पूर्णतः असत्य होना कहा गया है। घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। वास्तविकता यह है कि अभियोजन पक्ष वादी गिर्राज सिंह एवं उसका परिवार एवं मोतीराम यादव आदि एक भूमाफिया गैंग है और अभियुक्त की कृषि भूमि गाटा संख्या–959 रकवा–0.5030 हैक्टेयर स्थित गांव छंटीकरा, मथुरा को विगत कई वर्षों से कब्जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी बावत अभियुक्त द्वारा विगत करीब दो वर्ष पूर्व माननीय न्यायालय में एक मूलवाद संख्या–980/2024 अशोक कुमार बनाम मोतीराम आदि दायर किया था। जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक–13.11.2025 को अभियोजन पक्ष वादी मोतीराम यादव व अन्य सभी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया था। उक्त आदेश के बाद भी वादी एवं उनका समस्त गैंग अनेकों बार उसे अभियुक्त की जमीन को पूर्व में कब्जाने का प्रयास कर चुके है। दिनांक–08.02.2026 को समय करीब 10 बजे गिर्राज सिंह एवं मोती सिंह आदि करीब 30 व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त की उक्त जमीन पर पक्का निर्माण कराकर जबरदस्ती कब्जा करने की खबर जब अभियुक्त को मिली तो अभियुक्त अपनी पत्नी के साथ अपने खेत मौका–ए–वारदात पर पहुंचा तथा अभियोजन पक्ष के लोगों को न्यायालय का आदेश दिखाते हुये निवेदन किया तथा निर्माण रोकने की याचना की

Digitally signed by RAM KISHOR PANDAY
Date: 2026.03.12 19:31:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इसी से क्षुब्ध होकर करीब 30 व्यक्तियों ने अपने हाथों में लिये हुये चाकू और लाठी–डण्डों से अभियुक्त व उसकी पत्नी पर जानलेवा हमले करते हुये बुरी तरह घायल कर दिया तथा अभियुक्त की लाइसेंसी रायफल को छीनने का प्रयास किया और इसी छीना झपटी के दौरान उक्त राइफल से हवाई फायर हुआ जिससे किसी भी पक्ष को कोई चोट नहीं आयी और न ही कोई जनहानि हुयी। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाफ्ता है। अभियुक्त दिनांक–08.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के उपरांत जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त कथनों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्क सुने एवं समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर वादी मुकदमा के साथ गाली–गलौज कर रायफल से जान से मारने की नीयत से फायर करने व राइफल बरामद होने का आरोप है। कथित घटना में किसी को कोई चोट आना अभियोजन की ओर से नहीं कहा गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की दोषसिद्धी के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त मामले में अभियुक्त दिनांक–08.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना, न्यायालय इस अभिमत का है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाय–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

दिनांक–11.03.2026

(राम किशोर पाण्डेय)
ID No. UP 6052
अपर सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या–01, मथुरा।